नीति निर्धारण समिति बैठक

दिनांक 07.03.2025

कार्यवाही विवरण

नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संवर्ग के विभिन्न पदों (नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, लैब टेक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर, डेन्टल टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन एवं नेत्र सहायक) की सीधी भर्ती (वर्ष 2023) राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर (शिफ्) के माध्यम से करवाई जा रही है। इन भर्तियों के संबंध में चिन्हित बिन्दुओं पर निर्णय लिए जाने बाबत नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 07.03.2025 को प्रमुख शासन सचिव महोदया, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर में आयोजित की गई।

बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों की सूची संलग्न है।

उक्त बैठक में एजेन्डानुसार चर्चोपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गये–

क्र. सं.	नीति निर्धारण बिन्दु संख्या	चर्चा के बिन्दु	दिनांक 24.2.2025 को आयोजित बैठक में प्रस्तुत वस्तुपरक टिप्पणी एवं समिति द्वारा लिया गया निर्णय	नीति निर्धारण समिति का निर्णय
1	1184	फार्मासिस्ट भर्ती 2023 में दोहरा लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में गत बैठक दिनांक 24.2.2025 के एजेन्डा सं. 1178 पर दिये गये निर्देशों के क्रम में।	**टिप्पणी** – फार्मासिस्ट भर्ती 2023 में दोहरा लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति यह है कि नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 30.5.2024 में पारित निर्णय के क्रम में अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों से अनुभव अवधि के दौरान दोहरा कार्य/लाभ प्राप्त करने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्राप्त किये जा चुके हैं। चूंकि शपथ पत्र में प्रस्तुत तथ्यों का मिलान/पुष्टि अनुभव अवधि के दौरान किसी निजी संस्थान/मेडिकल स्टोर आदि पर कार्य किये जाने अथवा लाईसेंस निजी/सरकारी संस्थानों के संचालन हेतु उपयोग में लिये जाने के संदर्भ में किया जाना आवश्यक है। अतः संस्थान स्तर पर संयुक्त शासन सचिव (ग्रुप–3), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में वाछित सूचना हेतु आयुक्त, औषधि नियंत्रण मुख्यालय से इस सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है जिससे कि अंतिम चयन सूची जारी करने से पूर्व दोहरी अवधि के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा सके। उक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों की राय में शपथ पत्र में गलत तथ्य प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही यथा अनुभव अवधि में कटौति अथवा पात्रता निरस्त करने अथवा अन्य कोई कार्यवाही किये जाने का निर्णय नीति निर्धारण समिति की आगमी बैठक में करवाये जाने हेतु प्रस्ताव पारित किया है। अतः प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया। **निर्णय** – समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम औषधि नियंत्रक के माध्यम से दोहरा लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की वास्तविक संख्या का आंकलन किया जाये एवं तत्पश्चात विस्तृत प्रस्ताव के साथ प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये।	समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि दोहरा लाभ लेने वाले अथवा झूठा शपथपत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है। अतः केवल इस प्रकरण के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हेतु पुनः एक अन्य बैठक रखा जाना उचित होगा।

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>उपरोक्त के कम में वस्तुस्थिति निम्नानुसार है–
<table>
<tr><th>विवरण</th><th>कुल अभ्यर्थी</th></tr>
<tr><td>प्रोवीजनल सूची में कुल चयनितों की संख्या</td><td rowspan="4">संलग्नानुसार</td></tr>
<tr><td>अनुभव का लाभ प्राप्त नहीं करने वाले अभ्यर्थी</td></tr>
<tr><td>अनुभव का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी</td></tr>
<tr><td>औषधि नियंत्रक को जॉच हेतु प्रेषित सूची में कुल अभ्यर्थी</td></tr>
</table>
उपरोक्तानुसार औषधि नियंत्रक को प्रेषित अभ्यर्थियों की सूची पर औषधि नियंत्रक से प्राप्त सूचना के आधार पर दोहरा लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों की अनुभव अवधि व दोहरा लाभ अवधि का अंतरिम चयन सूची में दिये गये बोनस एवं जॉच रिपोर्ट के उपरान्त देय बोनस का विश्लेषण किया गया जो समिति के समक्ष इन अभ्यर्थियों को भर्ती प्रकिया से बाहर करने अथवा अनुभव अवधि का पुननिर्धारण कर तद्नुसार बोनस अंकों का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में निर्णयार्थ चर्चा हेतु प्रस्तुत किया गया।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>1185</td>
<td>दिनांक 30.05.2024 को आयोजित नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के कम में फार्मासिस्ट कैडर के ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिनका चयन अंतरिम चयन सूची में किया जा चुका है किन्तु ऑनलाईन शपथ–पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, पर गत बैठक दिनांक 24.2.2025 के एजेन्डा सं. 1179 पर दिये गये निर्देशों के कम में।</td>
<td>टिप्पणी – दिनांक 30.05.2024 को आयोजित नीति निर्धारण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के कम में फार्मासिस्ट कैडर के ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिनका चयन अंतरिम चयन सूची में किया जा चुका है, से ऑनलाईन शपथ–पत्र व रजिस्टर्ड डाक की हार्ड कॉपी प्राप्त कर ली गयी है किन्तु कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसमें ऑनलाइन आवेदन में अनुभव का उल्लेख अंकित करने वाले एवं अनुभव का उल्लेख अंकित नहीं करने वाले, दोनो श्रेणी के अभ्यर्थी सम्मिलित हैं। अतः ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में निर्णय लिया जाना है कि इन्हे पुनः एक अवसर प्रदान किया जावे अथवा ऐसे अभ्यर्थियों की पात्रता पर आगे विचार नहीं किया जाये अथवा कोई अन्य निर्णय लिया जाये। गत बैठक के समय तक फार्मासिस्ट भर्ती हेतु नॉन टीएसपी के 2743 एवं टीएसपी के 324 (कुल 3067) पदों के विरूद्ध कमशः 2621 व 197 पदों हेतु जारी अंतरिम चयन सूची के विरूद्ध 2439 व 188 अभ्यर्थियों के शपथ पत्र प्राप्त हुऐ हैं। शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थियों में से ऐसे अभ्यर्थी जिन्हे अनुभव का लाभ प्राप्त है कमशः 34 व 3 थी।
निर्णय – समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को एक अंतिम अवसर प्रदान करते हुए विज्ञप्ति में स्पष्ट कर दिया जाये कि शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती प्रकिया में आगे सम्मिलित होने से रोकने पर विचार किया जा सकता है।
उपरोक्त निर्णय के कम में शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को दिनांक 25.2.2025 से 03.03.2025 तक शपथ पत्र प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। इस अवधि के दौरान प्राप्त शपथपत्रों के अनुसार वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :–</td>
<td>समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि चूँकि यह विज्ञापित किया जा चुका है कि केवल शपथपत्र देने की शर्त पर ही भर्ती प्रकिया में सम्मिलित रखा जा सकेगा अतः तद्नुसार ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा।</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><th>विवरण</th><th>गैर अनुसूचित क्षेत्र</th><th>अनुसूचित क्षेत्र</th><th>कुल</th></tr>
<tr><td>विज्ञापित पद</td><td>2743</td><td>324</td><td>3067</td></tr>
<tr><td>अन्तरिम चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थी</td><td>2621</td><td>197</td><td>2818</td></tr>
<tr><td>दिनांक 3.3.2025 तक शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थी</td><td>89</td><td>4</td><td>93</td></tr>
<tr><td>उक्त 93 में से अनुभव अवधि अंकित करने वाले अभ्यर्थी</td><td>10</td><td>0</td><td>10</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>1186</td>
<td>गत बैठक में डैफर बिन्दु सं. 1182 साइकिऐट्रिक नर्स के कार्य का अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों को बोनस अंक प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में निर्देशानुसार पुनर्विचार हेतु।</td>
<td>टिप्पणी– राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के नियम 19 में अराजपत्रित संवर्ग की भर्तियों में विज्ञापित पद के समरूप कार्य करने पर अनुभव आधारित बोनस अंक दिए जाने का प्रावधान है। नर्सिंग अधिकारी भर्ती 2023 में साइकिएट्रिक नर्स के पद पर कार्य अनुभव रखने वाले आवेदकों को बोनस अंक दिए जाने के संबंध में प्रकरण पूर्व में नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 26.11.2024 में रखा गया था जिसमें साइकिएट्रिक नर्स के कार्य का अनुभव विशिष्ट प्रशिक्षणोपरान्त ही सम्पादित किये जाने एवं विशिष्ट प्रकार का होने के कारण इसे नर्सिंग ऑफिसर पद के कार्य के समरूप नहीं मानते हुए समिति द्वारा इन्हें बोनस अंकों का लाभ दिए जाने हेतु पात्र नहीं माने जाने का निर्णय लिया गया था जिसकी पालना में रिट याचिका सं. 14080/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में प्राप्त अभ्यावेदनों का निस्तारण कर शीफू की वैबसाइट पर प्रकाशन किया जा चुका है। निर्देशानुसार प्रकरण पुनर्विचार हेतु नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।</td>
<td>समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि चूँकि प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है अतः माननीय न्यायालय के निर्णयोपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही किया जाना उचित होगा।</td>
</tr>
</table>

4	1187	गत बैठक में डैफर बिन्दु सं. 1183 रू. 25000 के मानदेय पर नियुक्त कम्यूनिटी हैल्थ ऑफिसर का अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों को बोनस अंक प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में निर्देशानुसार पुनर्विचार हेतु।	**टिप्पणी**– राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के नियम 19 में अराजपत्रित संवर्ग की भर्तियों में विज्ञापित पद के समरूप कार्य करने पर अनुभव आधारित बोनस अंक दिए जाने का प्रावधान है। नर्सिंग अधिकारी भर्ती 2023 में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी पद पर कार्य करने वाले आवेदकों को अन्तिम चयन सूची जारी किए जाने तक समरूप कार्य नहीं होने के कारण सम्मिलित नहीं किया गया था तत्पश्चात माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर रिट संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनीवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य, प्रकरण में श्रीमान महाधिवक्ता द्वारा दी गई राय एवं इस संबंध में गठित वृहत समिति द्वारा दी गई राय को नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.7.2024 के समक्ष निर्णयार्थ रखा गया जिसमें समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि ऐसे सीएचओ जिनकी नियुक्ति कोविड काल के दौरान हुई एवं जिनकी सेवाएं प्रथमतः जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को कोविड नियंत्रण हेतु सौपी गई एवं बाद में सीएचओ के पद पर कार्यग्रहण कराया गया, केवल उनसे ही नर्सिंग आफिसर के पद के समान कार्य कराया जाना संभव प्रतीत होता है। अतः केवल इस प्रकार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.5.2021 के माध्यम से चयनित सीएचओ कार्मिकों एवं दिनांक 22.3.2020 से 13.2.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कार्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग आफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवाएं सौपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। उक्त का सक्षम स्तर से अनुमोदन भी कराया जा चुका है। उक्त निर्णय के दायरे में आने वाले आवेदकों को बोनस अंकों का लाभ दिया जाकर भर्ती प्रकिया में सम्मिलित करते हुए दिनांक 6.12.2024 को अन्तिम चयन सूची जारी की गई एवं रिट याचिका सं. 14080/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में प्राप्त अभ्यावेदनों का निस्तारण कर शीफू की वैबसाइट पर प्रकाशन किया जा चुका है। निर्देशानुसार ऐसे आवेदक जो नियुक्ति समय से ही ब्रिजकोर्स धारक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी थे/जिन्हें सीएचओ हेतु नियत रूपये 25000 प्रतिमाह का भुगतान किया गया था, को अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ दिए जाने पर पुनर्विचार हेतु नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।	समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि चूँकि प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन होकर नीति निर्धारण समिति की बैठक में निस्तारित किया जा चुका है, अतः अब यदि इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में अन्य कोई परिवाद दायर होता है तो इस पर माननीय न्यायालय के निर्णयोपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

नीति निर्धारण समिति बैठक
दिनांक 07.03.2025
टेबल एजेन्डा

5	1188	अध्यक्ष राजस्थान फार्मेसी काउंसिल द्वारा पत्र दिनांक 5.3.2025 में औषधि नियंत्रक की रिपोर्ट दिनांक 7.6.2024 के आधार पर अमान्य घोषित किये गये संस्थानों से प्राप्त व्यावसायिक योग्यताधारी अभ्यर्थियों को वर्तमान भर्ती में अपात्र मानने पर पुनर्विचार करते हुए प्रकरण की निष्पक्ष जॉच करवाये जाने के संबंध में।	फार्मासिस्ट भर्ती 2023 के दौरान माह सितम्बर 2023 में आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण द्वारा भर्ती प्रकिया में सम्मिलित कतिपय आवेदकों द्वारा फर्जी डिग्री/डिप्लोमा से राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा लाइसेस लेने के सम्बन्ध में गोपनीय पत्र द्वारा संस्थान को सूचित किया गया था। पत्र **में अंकित अभ्यर्थियों के भर्ती प्रकिया में सम्मिलित होने के दृष्टिगत, प्रकरण की गंभीरता के मद्देनजर इसे पत्रावली पर प्रस्तुत कर सक्षम स्तर पर भर्ती प्रकिया में यथास्थिति बनाये रखने का निर्णय लिया गया।** नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 16.8.2023 में संस्थान द्वारा करवाई जा रही समस्त पदों की भर्तियों में अन्य राज्यों से व्यावसायिक योग्यता प्राप्त आवेदकों की अंकतालिकाओं की जॉच टीम भेजकर करवाये जाने का निर्णय लिया गया था। उक्तानुसार ही दिनांक 3.11.2023 की नीति निर्धारण समिति की बैठक में आर.यू.एच.एस. की अंकतालिकाओं की जॉच आर.यू.एच.एस. स्तर से एवं अन्य अभ्यर्थियों की व्यावसायिक योग्यता की जॉच औषधि नियंत्रक के माध्यम से करवाये जाने का निर्णय लिया गया। औषधि नियंत्रक द्वारा उनके पत्र दिनांक 7.6.2024 द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई जिसमें राजस्थान राज्य एवं अन्य राज्यों में स्थित निजी विश्वविद्यालयों के 112 आवेदकों के दस्तावेज सही नहीं पाये जाने के सम्बन्ध में अवगत करवाया गया, जिसके आधार पर निर्देशानुसार उक्त आवेदकों के परिणाम को होल्ड करते हुए दिनांक 5.7.2024 को अंतरिम चयन सूची जारी की गई। अध्यक्ष, राजस्थान फार्मेसी काउंसिल द्वारा पत्र दिनांक 5.3.2025 में औषधि नियंत्रक की रिपोर्ट दिनांक 7.6.2024 के आधार पर अमान्य घोषित किये गये संस्थानों से प्राप्त व्यावसायिक योग्यताधारी अभ्यर्थियों को वर्तमान भर्ती में अपात्र मानने पर पुनर्विचार करते हुए प्रकरण की निष्पक्ष जॉच करवाये जाने का अनुरोध किया गया है। फार्मासिस्ट भर्ती में आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सूचना का सत्यापन राजस्थान फार्मेसी काउंसिंल अथवा आयुक्तालय औषधि नियंत्रण के स्तर से ही संभव है एवं संस्थान द्वारा इनके स्तर से किये जाने वाले सत्यापन के आधार पर ही कार्यवाही की जाती है। इनके द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं में विरोधाभास होने अथवा संशोधित सूचना प्रस्तुत किये जाने के कारण भर्ती प्रकिया में असमंजस की स्थिति एवं विलम्ब होता है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियमों में पूर्व में केवल	समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि ऐसे अभ्यर्थी जिनकी अंकतालिकाओं का सत्यापन के माध्यम से वैधता की पुष्टि नहीं हुई, की पात्रता निरस्त कर दी जाये।

			फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा के माध्यम से कराये जाने का उल्लेख था जिसमें अधिसूचना 28.2.2022 द्वारा फार्मासिस्ट भर्ती को परीक्षा लिये बिना व्यावसायिक योग्यता के प्राप्तांकों एवं बोनस अंक जोड़कर करवाये जाने हेतु एकबारीय शिथिलन प्रदान किया गया है। जिसके विरूद्ध माननीय न्यायालय में डीबी याचिका सं. 5980/2022 भंवर बगडिया बनाम सरकार दायर की हुई है एवं माननीय न्यायालय द्वारा भर्ती प्रकिया को प्रकरण में होने वाले अंतिम निर्णय के अध्याधीन जारी रखने के आदेश पारित किये गये हैं। संस्थान द्वारा राज्य सरकार/नीति निर्धारण समिति द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार राजस्थान फार्मेसी काउंसिल/औषधि नियंत्रक द्वारा संपादित किये जाने वाले दायित्वों की रिपोर्ट अनुसार ही कार्य किया जाना संभव है। अतः उपरोक्त उल्लेखित आवेदकों की पात्रता पर निर्णय लिये जाने के संबंध में प्रकरण नीति निर्धारण समिति के समक्ष निर्देशानुसार प्रस्तुत है।	

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग
राजस्थान सरकार

श्री योगेश शर्मा,
विशिष्ट शासन सचिव,
विधि विभाग
राजस्थान सरकार

संयुक्त शासन सचिव
चि.एवं स्वा. (ग्रुप–3) विभाग
राजस्थान सरकार

श्री दिनेश शर्मा,
संयुक्त शासन सचिव,
कार्मिक क–2 विभाग
राजस्थान सरकार

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान जयपुर

परियोजना निदेशक
एनएचएम
मुख्यालय

निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार
कल्याण संस्थान

संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित)
मुख्यालय

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
मुख्यालय

उप विधि परामर्शी,
चि.एवं स्वा. विभागशासन सचिवालय

उप विधि परामर्शी,
मुख्यालय

श्री अजय फाटक,
औषधि नियंत्रक प्रथम, मुख्यालय

रजिस्ट्रार
राजस्थान फार्मेसी कौंसिल

(छेल बिहारी अग्रवाल)
अतिरिक्त संयुक्त विधि परामर्शी

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी
शासन सचिवालय